

कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार—जौनपुर जंक्शन के (कि०मी० सं०—1.900—10.900 तक) जिला—गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रेल ट्रैक की डब्लिंग हेतु प्रस्तावित रेल ट्रैक के कुछ सेक्शन में कार्य किया गया है। अतः इस कार्य के उल्लंघन में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक तथा जुर्माने की राशि की माँग की गयी है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी वचनबद्ध है कि यह धनराशि जमा कर दी जायेगी।


प्रवीण कुमार मिश्रा
अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/बी०एस०बी०
अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/१/बी०एस०बी०
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार-जौनपुर जंक्शन के (कि०मी० सं०-10.900-57.400 तक) जिला-जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रेल ट्रैक की डब्लिंग हेतु प्रस्तावित रेल ट्रैक के कुछ सेक्शन में कार्य किया गया है। अतः इस कार्य के उल्लंघन में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक तथा जुर्माने की राशि की माँग की गयी है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी वचनबद्ध है कि यह धनराशि जमा कर दी जायेगी।


प्रवीण कुमार मिश्रा
वरिष्ठ अभियंता/कार्य/निर्माण/बी०एस०बी०
अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/१/बी०एस०बी०
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी